

संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी ,

सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. /

बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम

---: गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के) प्रवेशार्थियों हेतु काउंसिलिंग सूचना :-

**काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)**

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2018-19 में भारत सरकार, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) विभाग नई दिल्ली/राज्य शासन से प्राप्त अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता/ अनुमति के आधार पर निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2018 में सम्मिलित एवं संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 31.8.2018 एवं 3.11.2018 के अनुसार पंजीकृत गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के) प्रवेशार्थियों को काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रकाशित मेरिट सूची में कुल प्राप्तांक 86 न्यूनतम परसेन्टाईल (35.438897) तक है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु दिनांक 13.11.2018 को प्रातः 9.00 बजे से 11.30 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं।

जिन आयुष महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहेंगी उन्हीं संस्थाओं में गैर मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीटों की पूर्ति की जावेगी। संस्थावार रिक्त सीटों का विवरण दिनांक 12.11.2018 को सायं से वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों को निम्न कम में व्यवस्थित कर उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।

1. नीट परीक्षा का प्रवेश-पत्र।
2. नीट प्रवेश परीक्षा-2018 की अंकसूची।
3. ऑनलाइन पंजीयन की प्रति।
4. दसवीं की मूल अंकसूची।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची।
6. अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो भी साथ लावें।
8. दिव्यांगता संवर्ग में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
9. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।


10. **शैक्षणिक शुल्क :-**

- (1) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के भारती आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग/छत्तीसगढ़ आयुर्वेद महाविद्यालय, मनकी राजनांदगांव के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 55,620/- राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय चंदखुरी दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 56620/- संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा करना अनिवार्य है।
- (2) महावीर कालेज आफ आयुर्वेदिक साइन्स राजनांदगांव हेतु शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु फीस निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शासन निर्देशानुसार प्रावधिक शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 55,620/- तत्काल उनके काउंटर में जमा करना अनिवार्य है। फीस के अंतिम निर्धारण उपरांत अन्तर की राशि उभय पक्षों को मान्य होगी।

- (3) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के छदामी लाल चौकसे मेमो. होम्योपैथी चिकि. महाविद्यालय बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रू. 28,140/-, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रू. 27,640/-, महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडि.कालेज, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रू. 27,140/-, प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, भिलाई, दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत रू. 27,640/- तथा मोहरीने मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रू. 29,400/-संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा करना अनिवार्य है।
- (4) काउंसिलिंग के समय पाठ्यक्रम/ महाविद्यालय का चयन करने पर निर्धारित शुल्क की 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।
- (5) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संबंधित महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा शुल्क जमा न करने या अन्य किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की दशा में अभ्यर्थी इसकी लिखित सूचना तत्काल अध्यक्ष, काउंसिलिंग समिति को देगा।

नोट :-

- (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा।
- (2) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चर्या किया जावेगा।
- (3) काउंसिलिंग के दौरान उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होगी।

  
संचालक  
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,  
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़